

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल

(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-5/1129/E.file-0548/2025

दिनांक- ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं

नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,

नई दिल्ली-110003 ।

विषय:- रायसेन जिले के वन मण्डल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-732 में विस्थापित/पुर्नवास किए जाने हेतु 50.00 हेक्टेयर (ऑनलाईन आवेदित रकबा 55.00 हेक्टेयर) वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रस्ताव। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/FVC/152645/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 09.01.2023

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार, नई दिल्ली ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

## शर्तें-A

शर्त क्रमांक (i) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका के अनुसार ग्राम धुनवानी में चराई हेतु वन कक्ष RF 482 का वनक्षेत्र 480.674 हेक्टेयर चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है, निस्तार पत्रिका के पृष्ठ 65 की प्रति परिशिष्ट 1 के रूप में पोर्टल में संलग्न है।

वन मण्डल औबेदुल्लागंज के अन्तर्गत रातापानी अभ्यारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी के विस्थापन उपरांत कुल 318.00 हेक्टेयर वनभूमि रिक्त होगी, जिसमें ग्राम धुनवानी का क्षेत्रफल 57.07 हे0 एवं ग्रामीणों के निस्तार/चराई हेतु उपयोग की जाने वाली 260.93 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

शर्त क्रमांक (ii) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनग्राम धुनवानी के विस्थापन हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होने बाबत कलेक्टर जिला रायसेन के प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.2021 की छायाप्रति परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न कर ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक (iii) के पालन में खाली किए जा रहे वनक्षेत्र एवं जहां पर विस्थापित किया जायेगा वन अधिकार अधिनियम के तहत FRA प्रमाण पत्र क्रमशः पत्र दिनांक 24.10.2025 एवं 03.03.2023 ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड है।

शर्त क्रमांक (iv) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक PF-732 रकबा 50.00 हेक्टेयर की KML file सीडी में प्रस्तुत की गई है जो संलग्न है। परिवेश पोर्टल में KML File अपलोड नहीं हो रही है।

शर्त क्रमांक (v) तक के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र की KML File, e-Green watch पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसका ID No. 56429 है।

शर्त क्रमांक (vi) के पालन में आवेदक संस्थान ने पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

## शर्तें-B

शर्त क्रमांक (i) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WPC 202/95 में पारित आदेश दिनांक **28.01.2019** कोआई 0 ए 0 नम्बर **3924** और मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक **20.05.2019** के अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।

शर्त क्रमांक (ii) से (iv) तक की शर्तों का पालन करने हेतु आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (v) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा लेख किया गया है कि वनग्राम धुनवानी के विस्थापन उपरांत रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन नं० 3 दिनांक **12.01.1916** के तहत आराक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम धुनवानी का क्षेत्रफल जैतपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में शामिल है। ऐलान की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। रातापानी अभ्यारण्य की प्रबंध योजना **2017-18** तथा इसकी अवधि में मार्च **2023** तक वृद्धि की गई है, तालिका क्रमांक **2.9.11.8** में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। रिक्त होने वाला क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं पूर्व से ही आराक्षित वन के रूप में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

शर्त क्रमांक (vi) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनग्राम धुनवानी की खाली होने वाली वनभूमि को विकसित किए जाने की योजना राशि रुपये **9500000/-** की तैयार की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, भोपाल द्वारा दिनांक **20.11.2025** से जारी की गई है, जो पोर्टल में अपलोड है।

शर्त क्रमांक (vii) से (x) तक की शर्तों का पालन करने हेतु आवेदक संस्थान सहमत है।

शर्त क्रमांक (xi) के पालन आवेदक संस्थान ने अवगत कराया है कि प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/ फलदार वृक्षों को सड़कों के किनारे/ स्कूल/ प्रस्तावित ग्राम के बाउंड्री के आसपास/ आवासीय क्षेत्र के आसपास/ अन्य शासकीय एवं सार्वजनिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जायेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खड़े फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

शर्त क्रमांक (xii) के पालन आवेदक संस्थान द्वारा फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा। आवश्यकता अनुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्षों का पातन किया जावेगा। खड़े वृक्षों का पातन कार्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज द्वारा किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (xiii) से (xx) तक की शर्तों का पालन करने हेतु आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

**भवदीय**

Digitally signed by  
Hari Shankar Mohanta  
Date: 24-11-2025  
15:54:20  
(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भोपाल वृत्त, भोपाल, मध्यप्रदेश।
  - 2- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, औबेदुल्लागंज, मध्यप्रदेश।
  - 3- अधीक्षक, रातापानी अभ्यारण्य, वन मण्डल औबेदुल्लागंज, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



# कार्यालय वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल औबेदुल्लागंज

होशंगाबाद रोड औबेदुल्लागंज फोन नं0 07480-224062 फेक्स नं0 07480-224911 email-[dfotogunj@mp.gov.in](mailto:dfotogunj@mp.gov.in)  
क्रमांक/मा.चि./25/6308 औ.गंज/दिनांक, 24.11.25

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध) म0प्र0भोपाल

विषय: रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वन ग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-732 में विस्थापित/पुर्नवास किये जाने हेतु प्रस्तावित 50.00 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 50.00 हे. वनभूमि के उपयोग की अनुमति हेतु प्रदाय प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का संशोधित पालन प्रतिवेदन। ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/ 152645/2022.

संदर्भ : 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली आपका पत्र क्रमांक/8-09/2022-FC दिनांक 09.01.23  
2. आपका पत्र क्रमांक एफ-5/1129/2022/10-11/154 दिनांक 11.01.23

—00—

निवेदन है कि, रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वन ग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-732 में विस्थापित/पुर्नवास किये जाने हेतु 50.00 हे0 वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोग किये जाने के प्रकरण में प्रकरण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 09.01.23 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रदाय की गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज के द्वारा पत्र क्रमांक 3293 दिनांक 21.11.25 से इस कार्यालय को प्रेषित कर, शर्तों का संशोधित पालन प्रतिवेदन दिनांक 24.11.25 को पोर्टल में ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

प्रकरण में ऑनलाईन पार्ट II, Stage-I Status Report शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं 50 हे0 वनभूमि की सी.डी. अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमंडलाधिकारी,  
सा.वनमंडल औ.गंज

पृ.क्रमांक/मा.चि./25/6309

औ.गंज/दिनांक, 24.11.25

प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।

वनमंडलाधिकारी,  
सा.वनमंडल औ.गंज

# कार्यालय अधीक्षक रातापानी वन्यप्राणी अभयारण्य औबेदुल्लागंज

क्रमांक / 25 / 3293  
प्रति,

औ.गंज/दिनांक, 21.11.25

वनमंडलाधिकारी,

सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज

**विषय:** रायसेन जिले के वनमंडल औबेदुल्लागंज अन्तर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वन ग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ.-732 में विस्थापित/पुर्नवास किये जाने हेतु प्रस्तावित 55.00 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 50.00 हे. वनभूमि के उपयोग की अनुमति हेतु प्रदाय प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का संशोधित पालन प्रतिवेदन। ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/FVC/ 152645/2022.

- संदर्भ :**
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली आपका पत्र क्रमांक /8-09/2022- FC दिनांक 09.01.23
  2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-5/1129/2022/10-11/154 दिनांक 11.01.23
  3. आपका पृष्ठांकन पत्र क्रमांक /मा.चि./360 दिनांक 17.01.2023

—00—

निवेदन है कि, प्रकरण अन्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा संदर्भित पत्र से रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 732 में विस्थापित/पुर्नवास किये जाने हेतु प्रस्तावित 55.00 हे. वनभूमि में से 50.00 हेक्टेयर वनभूमि के व्यवर्तन हेतु प्रथम चरण की सर्शत स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

|     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A : | Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i   | The State Govt. shall submit the documentary evidenc/certificate indicating the extent of Nistar/community rights;                                                     | वनमंडल औबेदुल्लागंज की निस्तार पत्रिका वर्ष 2022 के अनुसार ग्राम धुनवानी में चराई हेतु वन कक्ष आर.एफ. 482 का वन क्षेत्र 480.674 हे. चराई हेतु खुला रखना उल्लेखित है। निस्तार पत्रिका वर्ष 2025 के पृ.क्रमांक 65 की सत्यापित प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। वनमंडल औबेदुल्लागंज के रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी के विस्थापन उपरांत कुल 318.00 हे0 वन भूमि रिक्त होगी जिसमें ग्राम धुनवानी का |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षेत्रफल 57.07 हे० एवं ग्रामीणों के निस्तार/ चराई हेतु उपयोग की जाने वाली 260.93 हे. क्षेत्र शामिल है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ii  | The district collector shall furnish certificate of non-availability of suitable non forest land for the location of village Dhunwani,                                                                                                                       | वनग्राम धुनवानी के विस्थापन हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध नहीं होने से संबंधित, कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पत्र क्रमांक/ 2245/ 17-भू-अभि./वर्कलोड/2021 दिनांक 09.12.2021 से जारी किया गया प्रमाण-पत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| iii | The State Govt. shall submit the certificate of compliance under FRA, In both the areas i.e. the area being vacated and the area where the people will be relocated.                                                                                         | वन ग्राम धुनवानी के रातापानी अभ्यारण्य से विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी०एफ०-732 की प्रस्तावित वन भूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर. ए. प्रमाण-पत्र क्रमांक 1965 दिनांक 24.10. 2025 परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।<br>वनग्राम धुनवानी के विस्थापन/पुर्नवास से परिक्षेत्र बिनेका के कक्ष क्रमांक आर०एफ०-482, 483, 484, 485, 486, 487 एवं आर०एफ० 488 की 318.00 हे. रिक्त होने वाली वन भूमि का कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र क्रमांक 605 दिनांक 03.03.2023 परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। |
| iv  | The State Govt. shall submit the correct and complete kml file of the an area 50.000 hec. (originally proposed 55.000 ha.) forest land.                                                                                                                      | वन ग्राम धुनवानी के रातापानी अभ्यारण्य से विस्थापन/पुर्नवास हेतु प्रस्तावित स्थल परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी०एफ०-732 के प्रस्तावित रकबा 50.00 हे० की संशोधित के०एम०एल० फाईल अपलोड कर दी गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V   | The correct and complete kml file of the area proposed for diversion shall be uploaded on the E-green watch portal with all requisite details.                                                                                                               | व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के०एम०एल० फाईल ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड की गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI  | The compliance report shall be uploaded on e-portal ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ).                                                                                                                                     | पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर ( <a href="https://parivesh.nic.in/">https://parivesh.nic.in/</a> ) अपलोड किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| B   | Conditions which need to be complied on field after handing over of forest land to the user agency by the state Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted and compliance is to be submitted prior to Stage-II approval. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i   | Legal status of the diverted forest land may be changed to non-forest land by the state in accordance with Hon'ble Supreme Court order dated 28.01.2019 in IA No. 3924 of                                                                                    | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डब्लू.पी. सी. 202/95 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2019 को आई०ए०नम्बर 3924 और मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 20.05. 2019 के अनुसार डायवर्ट होने वाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 2015 in WP(C) and Ministry's Guidelines dated 20.5.2019,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वनभूमि को गैर वनभूमि में बदला जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ii  | The State Government shall ensure that the area under the Dhunwani Village becomes inviolate and no families are left within this village for further re'ocation. The area to be made available as inviolate on account of relocation of village Dhunwani will be used for Wildlife conservation:                                                                                                                                            | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iii | The State Government shall take effective steps to ensure that the villagers who are relocated do not return to the area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iv  | The Forest Department should encourage rehatilitated femiles in relocated forest area for Improvement of their livelihood based on tree/forest based economic opportunities by providing appropriate training and imparting skillsets in ecotourism, Bamboo and Medicinal plants and other NTFPs through sustainable collection, proonssing, value addition and marketing etc. to help in conservation of forest area around rehabilitation: | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v   | The area to be vacated shall be mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF under relevant sections of the Indian Forest Act, 1927, or the State Forest Act as the case may be.                                                                                                                                                                                                                                           | वनग्राम धुनवानी के विस्थापन उपरान्त रिक्त क्षेत्र पूर्व से ही भोपाल रियासत का एलॉन नं० 3 दिनांक 12.1.1916 के तहत आरक्षित वन के रूप में घोषित है। वनग्राम धुनवानी का क्षेत्रफल जैतपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में शामिल है। ऐलान की प्रति परिशिष्ट 5 पर संलग्न है। रातापानी अभ्यारण्य की प्रबंध योजना वर्ष 2008-09 से 2017-18 तथा इसकी अवधि में मार्च 2023 तक वृद्धि की गई है, की तालिका क्रमांक 2.9.11.8 में उल्लेखित वनग्राम की सूची परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। रिक्त होने वाला क्षेत्र वनग्राम का क्षेत्र होने से एवं पूर्व से ही आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित होने से पुनः नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। |
| vi  | The State Government shall ensure that the land vacated in the protected area due to relocation of Village will be developed as par approved Wildlife Management Plan/NTCA Guidelines;                                                                                                                                                                                                                                                       | शर्त का पालन किया जावेगा। विकसित करने की योजना तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vii  | The State Government shall ensure that the relocation package is implemented with due regard to specific court orders and Government norms in this regard,                                                                                                            | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| viii | The State Government shall ensure that no fragmentation of forests should take place due to the relocation project.                                                                                                                                                   | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ix   | The State Govt. shall ensure that the details of relocation shall be provided to the NTCA for onward legal action compliance in IA No. 3924 of 2015 in WP(C) 202/1995;                                                                                                | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| x    | No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas:                       | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| xi   | The State Govt. shall ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other Government / public utility complexes around the boundaries of the proposed village, at natural groves;                               | प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ों/फलदार वृक्षों को सड़कों के किनारे / स्कूल / प्रस्तावित ग्राम के बाऊंड्री के आसपास / आवासीय क्षेत्र के आसपास / अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों को प्राकृतिक उपवनों के रूप में रखा जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि पर खड़े फलदार वृक्षों का पातन नहीं किया जावेगा। |
| xii  | The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled and shall ensure that any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under the supervision of the State Forest Department; | व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा आवश्यकतानुसार ही कृषि क्षेत्र में वृक्ष का पातन किया जावेगा। व्यपवर्तित वनभूमि में खड़े वृक्षों के पातन का कार्य वनमंडल औबेदुल्लागंज द्वारा किया जाता है।                                                                    |
| xiii | The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;                                                                                                                                | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| xiv  | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal,                                                                                                                                                                          | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| xv   | The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,                                                                                                 | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| xvi  | No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused:                                                                                                                                                                                               | शर्त का पालन किया जावेगा।                                                                                                                                                                                                                                                                     |

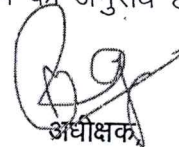
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| xvii  | The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year,                                                                                                      | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xviii | Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate with the approval of competent authority in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife                                                                                                      | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xix   | The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Culdelines, Hornble applicable to the project; Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;                                                  | शर्त का पालन किया जावेगा। |
| xx    | Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in pars 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of comprehensive guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28-03-2019 | शर्त का पालन किया जावेगा। |

भारत शासन द्वारा ग्राम धनुवानी के विस्थापन/पुर्नवास हेतु संदर्भित पत्र से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। कृपया प्रकरण में अंतिम औपचारिक स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध है।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार।

(परिशिष्ट-01 सें 06 एवं योजना)



अधीक्षक

रातापानी वन्यप्राणी अभ्यारण्य  
औबेदुल्लागंज



## चराई के लिए खुला अभ्यारण क्षेत्र (सामान्य) वन मंडल औ.गंज

| अ. क्र. | परिक्षेत्र व नाम | ग्राम का नाम                                                         | कक्ष क्रमांक | रकबा (हे.) |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1       | 2                | 3                                                                    | 4            | 5          |
| 01      | बिनेका           | बिनेका, जैत                                                          | RF - 438     | 350.400    |
| 02      | -----"           | लुलका                                                                | RF - 440     | 685.125    |
| 03      | -----"           | बोरखाड़ी, डामडोंगरी, बम्होरी                                         | PF - 728     | 273.405    |
| 04      | -----"           | मगरधा                                                                | RF - 442     | 327.775    |
| 05      | -----"           | घाट खमरिया, सिवनी, खपरिया खापा सुल्तानपुर जोड़                       | RF - 432     | 236.925    |
| 06      | -----"           | रमपुरा, मण्डवा                                                       | PF - 723.725 | 493.925    |
| 07      | -----"           | बगासपुर, सतधारा, पिपलिया कीर, पिपलिया खुर्द, काजीहाऊस, चित्तौड़ा     | RF - 446     | 469.000    |
| 08      | -----"           | सेमरी, सिलारी                                                        | RF - 447     | 336.060    |
| 09      | -----"           | जैतपुर                                                               | RF - 461     | 235.575    |
| 10      | -----"           | साजौली                                                               | RF - 468     | 150.693    |
| 11      | -----"           | नीलगढ़, घोड़ा पछाड़, डुंगरिया, चकावाली                               | RF - 468     | 150.693    |
| 12      | -----"           | धुनवानी, केमवाली, केवलाझिर, मालाझिर पाटनी, झिरपई, कोलापठार, पीपलवानी | RF - 482     | 480.674    |
|         |                  |                                                                      | योग          | 4190.25    |
| 01      | बाड़ी            | बाड़ी, बजीरगंज, पनागर, कमका दिमाड़िया, पारतलाई, घोट एवं डिष्पी       | PF - 720     | 12         |
| 02      | -----"           | पपलई, पांजरा, उदयगिरी, गुलबाड़ा महका, बिनेका, खमरिया, रिमसिली        | PF - 716     | 40         |
|         |                  |                                                                      | योग          | 52         |
| 01      | बम्होरी          | पडरिया, कोठरी, जयपुरा,                                               | PF - 713     | 68         |
|         |                  |                                                                      | योग          | 68         |

परिष्दीष्ट-②

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख जिला रायसेन ( म.प्र.)

☎ - 07482-223005

E-mail:- slrrai@mp.gov.in

क्रमांक/2245/17-भू-अभि./वर्कलोड/2021

रायसेन दिनांक 9/12/2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज

जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- जिला रायसेन रातापानी वन्य अभ्यारण्य में स्थित वन ग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /मा.चि./21/4024/औ.गंज दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में ।

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा वनग्राम नीलगढ एवं धुनवानी के विस्थापन हेतु लगभग 200 हेक्टर कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध होने के संबंध में अवगत कराने अथवा राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रदाय करने का लेख किया है।

आपके द्वारा चाही गई वांछित जानकारी जिले की तहसीलो से प्राप्त की गई। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 200 हेक्टर इकजाई कृषि योग्य राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

सत्य प्रामाण्य

मा. वन मण्डल अधिकारी  
औबेदुल्लागंज

कलेक्टर

जिला रायसेन (म.प्र.)



परिशिष्ट-3

FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of INDIA  
Office of the District Collector Raisen (M.P.)

No: 1965

\*\*\*\*\*

Dated: 24-10-2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of the Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that to displace the forest village Dhunwani, located within the Ratapani Sanctuary under the forest division to 55.00 hectares of forest land in Chilwaha range, compartment number PF 732 outside the sanctuary boundary of forest land proposed to be diverted in favor of DFO OBEDULLAGANJ, FOREST DEPARTMENT in RAISEN, MP district falls within jurisdiction of village(s) CHILWAHA in RAISEN tehsil(s).

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 55.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Divisional Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-I (page 1 to 2).
- The proposal of such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities / processes under the FRA has been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of villages(s).
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

  
24/10/25

(ARUN KUMAR VISHWAKARMA)  
Collector  
Raisen

परिशिष्ट-4

**FORM-II**  
(for projects other than linear projects)  
Government of Madhya Pradesh  
District level forest Right committee Dist.Raisen (M.P.)

No...605..

\*\*\*\*\*

Date 03/03/23

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act,2006 (FRA',for short) in the forest Villages,Dhunwani in Ratapani Wildlife sanctuary of Forest Divison (T) Obaidullaganj,for 318.00 Ha.of forest land (comp.no.RF 482, comp.no.RF 483, comp.no.RF 484,comp.no.RF 485, Comp. No.RF-486, Comp. No.RF-487 Comp.No.RF488 part) for voluntary village relocation.It is further certified that,

- (a) The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 318 haclares of forest area, proposed for village relocation.
- (b) The proposal for village relocation(with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) has been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers,who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s),has certified that all formalities / processes under the FRA has been carried out,and that they have given their consent to the proposed relocation and the compensation and ameliorative measures.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The village relocation process by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The forest villages,neelgarh shall be voluntary relocated and all the rights shall be settled as per the voluntary village relocation policy of the NTCA and Government of Madhya Pradesh.

(Arvind Dubey)  
Collector  
Raisen



Scanned with CamScanner

परिक्षेत्रवार ग्रामवार परिवारों, जनसंख्या तथा पशुओं के आंकड़े

| जिला   | परिक्षेत्र | क्र. | ग्राम का नाम       | परिवार संख्या | जनसंख्या | पशु संख्या | ग्राम का क्षेत्रफल |
|--------|------------|------|--------------------|---------------|----------|------------|--------------------|
| रायसेन | बरखेड़ा    | 1    | बरखेड़ा            | 34            | 1606     | 7527       | 117.842            |
|        |            | 2    | बोरदा              | 52            | 258      | 310        | 159.631            |
|        |            | 3    | बिनेका(बोरदा)      | 168           | 839      | 273        | 187.789            |
|        |            | 4    | पिपलानी कला        | 77            | 385      | 247        | 1256.587           |
|        |            | 5    | भूतपलासी           | 55            | 273      | 174        | 618.493            |
|        |            | 6    | नासीपुर            | 54            | 271      | 262        | 149.943            |
|        |            | 7    | गौतमपुर कालोनी     | 606           | 3030     | 395        | 309.303            |
|        |            | 8    | गौतमपुर जौंदरा     |               |          |            |                    |
|        |            | 9    | करमोदा             | 280           | 1400     | 202        | 1155.343           |
|        |            | 10   | कैरी - चौका        | 35            | 175      | 157        | 134.635            |
|        |            | 11   | पांझिर             | 52            | 258      | 310        | 1683.028           |
|        | बिनेका     | 12   | बिनेका (अंशिक)     | 210           | 1049     | 560        | 105.467            |
|        |            | 13   | डामडोंगरी(अंशिक)   | 47            | 234      | 363        | 110.374            |
|        |            | 14   | बम्हौरी (अंशिक)    | 44            | 219      | 270        | 92.769             |
|        |            | 15   | घाटखमरियां (अंशिक) | 159           | 796      | 221        | 114.578            |
|        |            | 16   | मगरघा पिपलिया      | 73            | 363      | 324        | 194.331            |
|        |            | 17   | खपरिया खापा        | 145           | 723      | 418        | 288.461            |
|        |            | 18   | मंडवा रमपुरा       | 77            | 387      | 224        | 192.510            |
|        |            | 19   | लुलका              | 103           | 515      | 662        | 61.744             |
|        |            | 20   | बोरखाड़ी           | 105           | 527      | 684        | 160.161            |
|        |            | 21   | दांत खो            | 09            | 44       | 123        | 108.299            |
|        |            | 22   | जैतपुर             | 97            | 483      | 632        | 29.352             |
|        |            | 23   | साजौली             |               |          |            |                    |
|        |            | 24   | नीलगढ (वनग्राम)    | 32            | 158      | 118        | 45.040             |
|        |            | 25   | धुनवानी (वनग्राम)  | 31            | 157      | 140        | 41.100             |
|        | दाहोद      | 26   | करमई               | 108           | 540      | 370        | 338.121            |
|        |            | 27   | बमनई               |               |          |            |                    |
|        |            | 28   | जावरा -मलखार       | 295           | 1477     | 691        | 62.348             |
|        |            | 29   | झिरी -बहेड़ा       | 183           | 914      | 639        | 479.720            |
| सीहोर  | देलाबाड़ी  | 30   | देलाबाड़ी          | 40            | 186      | 225        | 26.343             |
|        |            | 31   | सुरई -ढाबा         | 18            | 78       | 115        | 53.240             |
|        |            | 32   | मथार (वनग्राम)     | 112           | 894      | 1663       | 220.900            |
|        |            |      | योग                | 3301          | 18239    | 18299      | 8487.458           |

तालिका क्र. 2.9.11.8

2.13 वर्तमान प्रवेश द्वार :

अभयारण्य में वर्तमान प्रवेश द्वारों की जानकारी तालिका क्रमांक 2.9.11.9 में दर्शाई गई है।



**आदेश पारित द्वारा अशोक कुमार (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त भोपाल**  
आदेश/क्रमांक/माचि/394 भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2025

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14/07/2022 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, वन मंडल ओ0गंज अंतर्गत रातापानी अभयारण्य में स्थित वनग्राम धुनवानी को विस्थापित कर परिक्षेत्र चिलवाहा के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 732 में 55.000 हे0 वनभूमि पर विस्थापित/पुनर्वास किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-09/2022/ एफसी दिनांक 09/01/2023 से दी गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक/बी - VI के पालन हेतु खाली होने वाली वनभूमि को विकसित किये जाने के लिए वनमंडलाधिकारी, सामान्य ओ0गंज के पत्र क्र.माचि/6233 दिनांक 19/11/2025 से प्रस्तुत योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रुपये 95,00,000/- ( पैंचानवे लाख) की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के तहत जारी की जाती है:-

| योजना का नाम                                                                            | परिक्षेत्र | बीट                                                      | वनकक्ष क्रमांक                            | रकबा है.में | योजना की कुल राशि |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| वनग्राम धुनवानी को विस्थापित करने से खाली होने वाली वनभूमि को विकसित किये जाने की योजना | बिनेका     | उत्तर धुनवानी, दक्षिण धुनवानी, उत्तर नीलगढ़, एवं कैमवाली | आर एफ : 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488 | 318.000     | 95,00,000 /-      |
|                                                                                         | महायोग     |                                                          |                                           | 318.000     | 95,00,000 /-      |

**शर्तें**

- उक्त कार्य में भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावे एवं बजट आवंटन से अधिक व्यय न किया जावे।
- कार्य श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला हो एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो।
- चयनित स्थल किसी अन्य योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो, इसका ध्यान रखा जावे, इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
- समस्त वानिकी कार्य अनुमोदित जाव दर अनुसार ही कराया जावे। जिन वानिकी कार्यों के जाव दर अपर प्रधान मु.व. सं. विकास अथवा इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। ऐसे समस्त कार्यों के दर वृत्त स्तरीय समिति से अनुमोदित करावे एवं तकनीकी स्वीकृति में दर्शाई राशि की त्रुटिविहीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करें। तदुपरांत ही कार्य प्रारम्भ करें।
- प्रकरण में समय समय पर कराये गये कार्य के अद्यतन छायाचित्र व कार्य संपादन के हर बिंदुओं का विवरण पंजी में इंड्राज किया जाना आवश्यक है।
- प्रकरण में प्रचलित कार्य आयोजना/ प्रबंध योजना क्रियान्वयन के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- प्रधान मु0व0सं0 एवं वनबल प्रमुख म.प्र. भोपाल तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अशोक कुमार)

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2025

पृ.क्रमांक/माचि/6666

प्रतिलिपि:- महालेखाकार म.प्र ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- वनमंडलाधिकारी सा0 वन मंडल ओगंज की ओर उनके पत्र क्रमांक/माचि/6233 दिनांक 19/11/2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त, भोपाल

19-11-25

# मध्यप्रदेश शासन वन विभाग



## प्रोजेक्ट रिपोर्ट

घास मैदान विकास कार्य

वर्ष — 2025—26

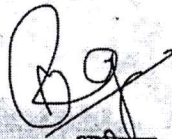
|                    |   |                                                                                                        |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कार्य स्थल         | : | उ० धुनवानी, आर.एफ. 485,486<br>द० धुनवानी आर.एफ.482,483,484<br>उ० नीलगढ़ आर.एफ.487<br>केमवाली आर.एफ.488 |
| कार्य का क्षेत्रफल | : | 318.00 हैक्टेयर                                                                                        |
| कार्य का नाम       | : | घास मैदान विकास कार्य                                                                                  |
| प.स. वृत्त         | : | धुनवानी एवं नीलगढ़                                                                                     |
| वन परिक्षेत्र      | : | बिनेका                                                                                                 |
| लागत राशि          | : | 95.00 लाख                                                                                              |
| उप वन मंडल         | : | रातापानी टाईगर रिजर्व<br>औबेदुल्लागंज                                                                  |
| वन मंडल            | : | औबेदुल्लागंज                                                                                           |
| वन वृत्त           | : | भोपाल                                                                                                  |

सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज



### स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

रातापानी टाईगर रिजर्व औबेदुल्लागंज के परिक्षेत्र बिनेका के अंतर्गत वनग्राम धुनवानी के विस्थापन उपरांत घास मैदान विकास कार्य प्रस्तावित है, उक्त कार्य हेतु वृत्त धुनवानी की बीट उत्तर धुनवानी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 485,486 , दक्षिण धुनवानी के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 482 ,483 एवं 484 ,उत्तर नीलगढ़ के कक्ष क्रमांक आर.एफ.487 एवं बीट केमवाली के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 488 के वनक्षेत्र का निरीक्षण किया गया ,प्रस्तावित स्थल पर घास मैदान का विकास कार्य कराये जाने योग्य है।



अधीक्षक  
रातापानी टाईगर रिजर्व  
औ.गंज

वनमण्डलाधिकारी  
सा.सममण्डल औबेदुल्लागंज



वन परिक्षेत्राधिकारी  
वन परिक्षेत्र बिनेका

## प्रोजेक्ट रिपोर्ट घास मैदान विकास कार्य

रातापानी टाईगर रिजर्व, वनमण्डल औबेदुल्लागंज

प्रस्तावना :- रातापानी टाईगर रिजर्व औबेदुल्लागंज के परिक्षेत्र विनेका के अंतर्गत वनग्राम धुनवानी के विस्थापन उपरांत घास मैदान विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, उक्त कार्य कराये जाने से शाकाहारी वन्यप्राणियों हेतु खाद्य घास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी। तथा पेलजल की व्यवस्था हेतु तालाब एवं पराकोलेशन टैंक निर्माण प्रस्तावित किये गये है

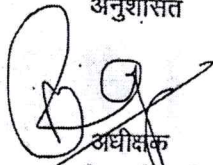
अतः संलग्न प्राक्कलन अनुसार घास मैदान विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

अनुमोदित



वनमंडलाधिकारी  
सामान्य वनमंडल औबेदुल्लागंज

अनुशंसित



अधीक्षक  
रातापानी टाईगर रिजर्व  
औ0गंज

प्रस्तावित

वनपरिक्षेत्र अधिकारी  
परिक्षेत्र विनेका



**प्रोजेक्ट रिपोर्ट**

**वनग्राम धुनवानी विस्थापन उपरान्त घास मैदान विकास कार्य**

वन कक्ष क्रमांक- आर.एफ. 482, 483, 484 485,486,487,488

बीट - उत्तर धुनवानी, दक्षिण धुनवानी, उत्तर नीलगढ़ एवं कैमवाली

वन परिक्षेत्र- बिनेका

कार्य का क्षेत्रफल- 318.00 हेक्टेयर

प.स. वृत्त धुनवानी एवं नीलगढ़

वनमण्डल- पदम श्री विष्णु ग्रीवर वाकणकर टाईगर

रिजर्व रातापानी औबेदुल्लागंज

GPS Reading N-12°59'29" E-077°59'38"

दर- 407

प्रति मा.दि.

| क्र० | कार्य विवरण                                                                                                                                     | क्षेत्रफल |       | दर मा.दि.  | प्रति हेक्टर, व्यय राशि |              | कुल राशि |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------------------|--------------|----------|
| 1    | 2                                                                                                                                               | 3         | 4     | 5          | 6                       | 7            | 8        |
| 1    | घास मैदान क्षेत्र में उग आये आवांछित प्रजाति के U-20cm गोलाई वर्ग के पौधों को गेंती/फावडा की सहायता से जड़ से उखाड़ना।                          |           |       |            |                         |              |          |
|      | U-20cm गोलाई वर्ग के पौधों                                                                                                                      | 3000      | नग    | 0.019      | 8.873                   | प्रति पौधा   | 26619    |
| 2    | आवांछित प्रजाति की खरपतवार जैसे वनतुलसी, चिरोटा, गाजरघांस, आदि को जड़ से उखाड़कर अलग-अलग करना संघन मध्यम एवं विरल क्षेत्र खरपतवार उन्मूलन कार्य |           |       |            |                         |              |          |
|      | संघन                                                                                                                                            | 200       | हे०   | 25.00      | 11675.000               | प्रति हेक्टर | 2335000  |
|      | मध्यम                                                                                                                                           | 75        | हे०   | 14.00      | 6538.000                | प्रति हेक्टर | 490350   |
|      | विरल                                                                                                                                            | 25        | हे०   | 8.00       | 3736.000                | प्रति हेक्टर | 93400    |
| 3    | बेर के पेड़/झाडी सफाई कार्य                                                                                                                     | 5         | हे०   | -          | 42000.00                | प्रति हेक्टर | 210000   |
| 4    | तालाब निर्माण कार्य                                                                                                                             | 2         |       | 1500000.00 | -                       | LS           | 3000000  |
| 5    | परकोलेशन टैंक निर्माण कार्य                                                                                                                     | 4         | नग    | 150000.00  |                         |              | 600000   |
| 6    | पुराने मकानों को तोड़कर, मलवा अलग, अलग मलवा को व्यवस्थित रखना एवं जमीन को समतल करना                                                             | 58        | नग    | -          | 30000.00                | प्रति मकान   | 1740000  |
| 7    | बोल्डर चेकडेम निर्माण                                                                                                                           | 800       | घ.मी. | 1.00       | 467.000                 | प्रति घ.मी.  | 373600   |
| 8    | घास प्लाट की जुताई कर घास बीज बुआई कार्य                                                                                                        | 50        | हे०   |            | 12000.00                | प्रति हेक्टर | 600000   |
| 9    | अन्य व्यय                                                                                                                                       |           |       |            |                         |              | 31031    |
|      |                                                                                                                                                 |           |       | योग:-      |                         |              | 9500000  |

अनुमोदित

वनमण्डलाधिकारी  
(सामान्य) औबेदुल्लागंज

अनुशासित

रातापानी टाईगर रिजर्व.  
औबेदुल्लागंज

प्रस्तावित

वन परिक्षेत्राधिकारी  
परिक्षेत्र बिनेका